सहायक सांख्यिकी अधिकारी का परिणाम जारी

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 16 पदों पर चल रही भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने बताया कि इसमें चार अभ्यर्थी औपवेधिक रूप से चयनित किए गए हैं। इनका परिणाम उनके द्वारा प्रस्तुत किए प्रमाण पत्रों के अधीन रहेगा। आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट पर कटऑफ भी जारी कर दी गई है। ब्यूरो

आईटीआई : 10वीं पास छात्र अब सभी ट्रेड में कर सकेंगे आवेदन

अक्षय कुमार

लखनऊ। प्रदेश की 3300 से अधिक राजकीय, निजी व पीपीपी मॉडल की आईटीआई में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग प्रवेश नियमों में व्यापक बदलाव कर रहा है। इसके तहत 10वीं पास छात्र अब किसी भी ट्रेड के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था।

अब तक 8वीं व 10वीं पास छात्रों के लिए अलग-अलग ट्रेड निर्धारित थे। 8वीं पास छात्र सभी ट्रेड में आवेदन करते थे, लेकिन 10वीं पास के लिए यह सुविधा नहीं थी। विभाग ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब 8वीं व 10वीं पास दोनों ही छात्र सभी ट्रेड में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के समय उन्हें अपनी कक्षा में प्राप्त नंबर अपलोड करने होंगे। इन नंबरों के आधार पर विभाग मेरिट सूची तैयार करेगा। छात्रों को मेरिट के अनुसार ही सीटें आवंटित की जाएंगी। अभ्यर्थी एक से अधिक ट्रेड के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर विकल्प मिल सकें।

आईटीआई की अलग-अलग बनेगी मेरिट

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय, निजी व पीपीपी मॉडल की आईटीआई के लिए कक्षा 8 व 10 की योग्यता के आधार पर अलग-अलग मेरिट तैयार की जाएगी। ट्रेडवार सीटों का आवंटन किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को राजकीय व निजी दोनों में प्रवेश का अवसर मिलता है, तो वह जिस आईटीआई में पहले प्रवेश लेगा, वहीं उसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरी आईटीआई में उसका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

भ्रष्टाचार में स्टांप विभाग के तीन कर्मचारी निलंबित

लखनऊ। स्टांप तथा पंजीयन विभाग के तीन कर्मचारियों को भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कर्मचारियों में उप निबंधक सदर प्रथम बरेली के रवि प्रकाश वर्मा, कनिष्ठ सहायक, उप निबंधक सदर आफिस प्रथम बरेली तथाकर राजन राजपूत और तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, उप निबंधन सदर द्वितीय, बरेली शिवम मिश्रा शामिल हैं। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।

महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जांच में पंजीयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। आरोप है कि कर्मचारियों ने विलेखों के प्रलेखन, परीक्षण और पंजीयन कार्य में नियमों के विपरीत काम किया, जिससे विभाग की छवि प्रभावित हुई। ब्यूरो

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)
(Scheduled Bank Owned by Government)

क्षेत्रीय कार्यालय गाजीपुर
मुगलानी चक, शहरी,
जनपद, गाजीपुर- 233001

सार्वजनिक नीलामी 11.06.2026

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनगठन व प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) 2002 के सेक्शन 13(4) के पठित नियम 6(2) एवं / या नियम 8(6) एवं या नियम 9(1) अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी अचल सम्पत्तियों की नीलामी सूचना

यह कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 8 व 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्ता(ओ)/गारण्टीकर्ता(ओ) को माँग पत्र जारी किया गया जिसमें बकाया धनराशि के बकाया सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की माँग की गयी थी। यह कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओ)/गारण्टीकर्ता(ओ) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। अतः एतद्वारा ऋणकर्ता(ओ)/ गारण्टीकर्ता(ओ)और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है, जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋणकर्ता(ओ)/ गारण्टीकर्ता(ओ) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन-देन ना करे यह समक्षित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रभार के अध्यधीन है जिसमे नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्चे देय है यह कि एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ता(ओ)/गारण्टीकर्ता(ओ) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत यथावर सम्पत्तियों की निविदा/बीड्स/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री "जो है जैसी है", तथा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर दिनांक 11.06.2026 को की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तो को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेण्डर बन्द निविदा के माध्यम से दिनांक 10.06.2026 को सांय 4.00 बजे तक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- मुगलानी चक शहरी, गाजीपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। सार्वजनिक निविदा तिथि 11.06.2026 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- मुगलानी चक शहरी, गाजीपुर में खोली जायेगी।

क्रम सं0	ऋणी/बंधकर्ता का नाम, पता, शाखा व खाता संख्या	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक/कब्जा दिनांक/ कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक	बकाया धनराशि (रूपये में)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि (रूपये में)
1.	**ऋणी - श्रीमती मंजु देवी पत्नी श्री दिनेश पता-** अराजी नम्बर 488, मौजा- भद्रसेन, परगना व तहसील- सैदपुर, जिला- गाजीपुर **खाता सं0- 313546510076145 शाखा: सैदपुर**	अराजी नम्बर 488, मौजा- भद्रसेन, परगना व तहसील- सैदपुर, जिला- गाजीपुर, क्षेत्रफल 1743.12 वर्ग फीट, भूमि एवं भवन जो कि श्रीमती मंजु देवी पत्नी श्री दिनेश के नाम में है। **चौहद्दी संपाश्विक स्थल निरीक्षण के अनुसार -** उत्तर- ग्राम सभा की जमीन, दक्षिण- पिच रोड बादहु नहर, पूरक- 9 फीट चौड़ी पिच रोड, पश्चिम- बसंत की जमीन	23.01.2017 **13.03.2018** सांकेतिक कब्जा	11,22,019/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे 31.12.2016 से	19,94,400/- 1,99,440/-

विक्रय के नियम एवं शर्ते- 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके उपर बिड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना हैं। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक गाजीपुर के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ सलंग्न करें। अधिक्तम निलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं कि धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को लेकर) अगले दिन तक बैंकर्स चेक/ डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकार शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियों जब्त कर ली जायेंगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची / समस्त निविदा को स्वीकार /अस्वीकार/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता हैं। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से सम्बन्धित बैंको चार्ज, लिन, इन्कम्बरेन्स, प्रश्नपट टैक्स, सरकारी ड्यूज अन्य के प्रति जिम्मेदार नही होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के वृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नही होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नही बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती है तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा की वह उनके बीच आपस में पुनः बीडिंग करा ले। 8. निविदा / विक्रय के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी " जो है जैसी है " तथा " जहाँ है जैसी है " के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी/जमानतदार नीलामी तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rule # 2002 (By the Security Interest/Enforcement/ Amendment Rule) में, 2002 धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नीलामी तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोचित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध हैं। 10.यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरिक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरिक्षण हेतु सम्बन्धित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋणकर्ताओं/गारण्टीकर्ताओं के लिये विषेश रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्यतया रूप से है।

सरफेसी एक्ट 2002 के अर्न्तगत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋणग्रहिता/जमानतदारों/विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दे, इसमें असफल रहने पर बंधक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।

अधिकृत जानकारी हेतु सम्पर्क करे- मो0 नं0- 9151074810, 9748517861

नोटः प्रकाशन सावधानीपूर्वक किया गया है किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्बंधित शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक 09.05.2026 | स्थान गाजीपुर | प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाहगंज-जौनपुर

पत्रांक : 54/न0प0प0शा0/2026-27 | दिनांक : 08.05.2026

पार्क एवं खेल के मैदान की सूची
(नियम 4 देखें)
स्थानीय निकाय का नाम-नगर पालिका परिषद शाहगंज

उ0प्र0 पार्क एवं खेल के मैदानों (संरक्षण और रेगुलेशन) एक्ट 1975 तथा उ0प्र0 पार्क एवं खेल के मैदानों (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली 2005 से आच्छादित नियम 4 के अधीन नगर पालिका परिषद शाहगंज द्वारा निम्नवत सूची प्रकाशित की जाती है, यदि उक्त सूची पर किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिखित रूप से प्रकाशन से तीन माह के अन्दर कार्यालय नगर पालिका परिषद शाहगंज को प्रेषित कर सकता है। निर्धारित समयावधि के उपरान्त प्राप्त कोई आपत्ति ग्राह्य नहीं होगी।

अनन्तिम सूची (प्रपत्र-1)

क्र0 सं0	नाम/गाटा सं.	वार्ड का नाम तथा संख्या	अवस्थिति	क्षेत्रफल	विस्तृत अभियुक्ति
1	तुलसी उद्यान पार्क	नई आबादी, संख्या-07	पार्क	2520 वर्ग मीटर	वार्ड नई आबादी निरीक्षण भवन के पास

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाहगंज
जौनपुर

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद शाहगंज
जौनपुर

punjab national bank ... name you can BANK upon! | **पंजाब नैशनल बैंक** ... भरोसे का प्रतीक

एआरएमबी वाराणसी- एस 20/56- डी केनेडी रोड, द माल, फैन्ट, वाराणसी – 221002 (उ0प्र0). ई-मेलः cs8331@pnb.bank.in
वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत सर्वसाधारण को ई-नीलामी की सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पढ़ी जाती है।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर **"जहां है जैसे है" और "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को देय। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

अचल सम्पत्ति एवं सुरक्षित प्रतिभूतियों का विवरण

क्र0 सं0	उधारकर्ता का खाता / शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि दिनांक 30.04.2026 तक 13(2) की दिनांक / 13(4) की दिनांक / कब्जे का प्रकार (भौतिक/सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य अग्रिम धनराशि (10 लाख से) / वृद्धिराशि धनराशि / अग्रिम धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि	निलामी हेतु दिनांक एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात बकाया का विवरण
1.	**ऋणी: 1) मेसर्स ओम श्री इंटरप्राइजेज (भालिक श्री मैया लाल पटेल पुत्र श्री चोपाल)** शीकापुर, जगतपुर, हरदतपुर, वाराणसी उ0प्र0–221313 **ऋणी/जमानतकर्ता: 2) श्री मैया लाल पटेल पुत्र सोमारू (प्रोपराइटर मेसर्स ओम श्री एंटरप्राइजेज)**, निवासी: शीकापुर, जगतपुर, हरदतपुर, वाराणसी उ0प्र0–221313 **जमानतकर्ता/बंधककर्ता: 3) श्रीमती अमरावती देवी पत्नी मैया लाल पटेल** निवास: शीकापुर, जगतपुर, हरदतपुर, वाराणसी उ0प्र0–221313 **शाखा: एआरएमबी वाराणसी (833100)**	सामयिक बंधक की सम्पत्ति आराजी संख्या 543/1, क्षेत्रफल 9094 वर्ग फुट, मौजा/ग्राम– हरदतपुर, परगना–कसवार सरकारी, तहसील–राजातालाब, जिला– वाराणसी में स्थित, बिलेख संख्या 560 के तहत 05.02.2014 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय–गंगापुर, वाराणसी में पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 2804, पृष्ठ 153 से 196 पर, द्वारा पंजीकृत, (मालिक– श्रीमती अमरावती देवी पत्नी मैया लाल पटेल), **चौहद्दी: (बिलेख के अनुसार): पूर्व–**शिवनाथ गोंर्द की भूमि, **पश्चिम–**श्रीमती राजा देवी की भूमि, **उत्तर–**नारायण की भूमि, **दक्षिण–**सुखराम की भूमि, **चौहद्दी (राजातालाब के एस.डी.एम. एवं गंगापुर के एस.आर.ओ. की वर्तमान स्थिति के रिपोर्ट के अनुसार): पूर्व–**गोंदी, उसके बाद शिवनाथ गोंर्द का मकान, **पश्चिम–** लालजी केशरी और रामा देवी की भूमि, **उत्तर–**गली (रास्ता), उसके बाद पेंघी और नारायण की भूमि, **दक्षिण–** कच्चा रास्ता, उसके बाद रेलवे विभाग की भूमि। **चौहद्दी (मूल्यांकन और निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार): पूर्व–** सामान्य सुविधा केंद्र– उगराई फीशन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, **पश्चिम–** रामा देवी और लालजी केशरी की खुली भूमि, **उत्तर–** 3.05 मीटर चौड़ी इंटरलॉकिंग पक्की पहुंच सड़क, **दक्षिण–** गुलाब की की खुली भूमि, उसके बाद 3.05 मीटर चौड़ा कच्चा रास्ता और भारतीय रेलवे की भूमि।	**₹0 2,29,12,554.04** + ब्याज + अन्य खर्चे ब्यू.ई.फ.01.05.2026 ऋण वसूली चौदे कोई है **01.02.2024** **25.04.2024** सांकेतिक	**1,27,00,000.00** **12,70,000.00** **1,00,000.00** **26.05.2026**	**26.05.2026** **11:00 AM to 04.00 PM**	कुछ नहीं
2.	**ऋणी: 1) मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रोपराइटर श्री अमरजीत यादव पुत्र श्री चैयन यादव)**, पता:– ग्राम व पोस्ट धराव, धानापुर, चंदौली, उ0प्र0–232105 **2) मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रोपराइटर श्री अमरजीत यादव पुत्र श्री चैयन यादव)**, पता:– धराव, चहनिया, पकवत्तीह, चंदौली, उ0प्र0–232105 **ऋणी/जमानतकर्ता : 3) श्री अमरजीत यादव पुत्र श्री चैयन यादव (प्रोपराइटर: मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन कंपनी)**, पता:– ग्राम और पोस्ट धराव (मगनपुर) धानापुर, चंदौली, उ0प्र0–232105 **जमानतकर्ता/बंधककर्ता: 4) श्रीमती सरिता मिश्रा पत्नी श्री कमलापति मिश्रा**, पता:– एन 10/70 एफ 8–ए, न्यू कालोनी, कबरनघा, वाराणसी, उ0प्र0–221004 **5) श्रीमती सरिता मिश्रा पत्नी श्री कमलापति मिश्रा**, पता:– ग्राम व पोस्ट भवानीपुर, थाना धुनार, जिला मिर्जापुर, उ0प्र0–231304 **शाखा: एआरएमबी वाराणसी (833100)**	सामयिक बंधक की आवासीय सम्पत्ति (भूमि एवं भवन) आराजी संख्या 533/2, मौजा– काकरमत्ता, थाई– नगवा, परगना देहात अमानत, तहसील एवं जिला वाराणसी में स्थित, माप क्षेत्रफल 2040 वर्ग फुट, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1424, पृष्ठ 39 से 60 पर, दस्तावेज संख्या 2274, उप–पंजीयक कार्यालय–चतुर्थ, वाराणसी में दिनांक 19.07.2002 को पंजीकृत, मालिक– श्रीमती सरिता मिश्रा पत्नी श्री कमलापति मिश्रा, **चौहद्दी (बिलेख के अनुसार): पूर्व–** 8 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता, **पश्चिम–** संतोष कुमार यादव का मकान, **उत्तर–** उपेश्वरान और शिव अग्रवाल का मकान, **दक्षिण–** गंगा लाल का मकान **नोटः (I) उपरोक्त विवरणों को दिनांक 29.07.2002 के हितिष्मा बिलेख के अनुसार संशोधित किया गया है, जो पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 1445 पृष्ठ 129 से 132, दस्तावेज संख्या 2647 दिनांक 09.08.2002 में पंजीकृत है एवं दिनांक 21.11.2008 के हितिष्मा बिलेख के अनुसार, जो पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 3478 पृष्ठ 1 से 12, दस्तावेज संख्या 4532 दिनांक 21.11.2008 में उप–पंजीयक कार्यालय–चतुर्थ, वाराणसी में पंजीकृत है। (ii) मकान संख्या एन 10/70–एफ–8 ए, नगर निगम वाराणसी द्वारा जारी पीले कार्ड दिनांक 26.02.2004 के माध्यम से आवंटित किया गया है।**	**₹0 1,80,17,253.68** + ब्याज + अन्य खर्चे ब्यू.ई.फ.01.05.2026 ऋण वसूली चौदे कोई है **05.07.2024** **10.09.2024** सांकेतिक	**1,04,40,000.00** **10,44,000.00** **1,00,000.00** **08.06.2026**	**08.06.2026** **11:00 AM to 04.00 PM**	कुछ नहीं

नियम एवं शर्ते :– बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तो और निम्नलिखत शर्तो के अधीन होगी। 1. संपत्तियां **"जहां है जैसे है" और "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी वहाँ है"** के आधार पर बेची जा रही है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियां का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्‌घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://ebkray.in/baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऊपर लिखे दिनांक व समय के अनुसार की जायेगी तथा बोलीकर्ताओं को सलाह दीजाती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाईट https://ebkray.in/baanknet.com पर रजिस्टर करें। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तो के लिए, कृपया देखे https://ebkray.in/baanknet.com और www.pnbindia.in/ या श्री रूद्र नाथ, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर–9204057664) से सम्पर्क करें।

नोट : विवाद की स्थिती में अंग्रेजी अंक प्रकाशन ही मान्य होगा।

दिनाकः09.05.2026, स्थानः वाराणसी | सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय - वाराणसी
प्रथम तल, बड़ौदा भवन, प्लाट नं0 24,
इण्डस्ट्रियल इस्टेट, चौंदपुर,
वाराणसी - 221106 (उ0प्र0)

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002, की धारा 13(12) एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के सपठित नियम 3 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गयी थी तथा ऋणकर्ता को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणकर्ता द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 के तहत प्रदत शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का अधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को सचेत किया जाता है कि वे अपनी सुरक्षित परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के सम्बन्ध में अधिनियम 13 की उपधारा (8) के प्रावधान समयानुसार करें। ऋणकर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नही करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय - विक्रय बैंक ऑफ बड़ौदा की बकाया राशि एवं ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

क्र. सं.	ऋणकर्ता/जमानतकर्ता का नाम व पता, मांग सूचना/ अधिग्रहण की सूचना की तिथि/ शाखा	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि
1.	**ऋणकर्ताः रोहित कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामेश्वर नाथ उपाध्याय** **पता 1:** मकान नम्बर एस 12/19-19-ए, मोहल्ला- पियरिया पोखरी, वार्ड- सिकौंल, परगना- शिवपुर, तहसील व सदर- वाराणसी- 221002 **पता 2:** मकान नम्बर डी 14/92, टेढ़ीनीम, दशाश्वमेध, वाराणसी- 221001 **पता 3:** वार्ड नम्बर- 12, विकटकेंज, निकट पुराना आरटीओ ऑफिस, शाहपुरा रोड, उमरिया, (म0प्र0) 484661 **मांग सूचना की तिथिः** 12.01.2026 **अधिग्रहण सूचना की तिथिः** 05.05.2026 **शाखा- गोदौलिया, वाराणसी**	सायिक बंधक भूमि एवं भवन स्थित मकान नम्बर एस 12/19-19-ए, क्षेत्रफल- 300 वर्ग फीट यानि 27.88 वर्ग मीटर स्थित मोहल्ला- पियरिया पोखरी, वार्ड- सिकौंल, परगना- शिवपुर, तहसील- सदर, जिला- वाराणसी सभी अधिकृत निर्माण फिटिंग और फिक्स्चर के साथ **चौहद्दी :** पूर्वः पुरूषोत्तम यादव का मकान, पश्चिमः तिवारी जी का मकान, उत्तरः इंटरलॉकिंग गली 6 फीट चौड़ी, दक्षिणः रवि चौरसिया का मकान	रू **21,61,049.61** दि0 09.01.2026 तक + ब्याज देय एवं विधिक व अन्य खर्च (यदि कोई राशि जमा है, को घटाकर)
2.	**ऋणकर्ताः श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री दिलिप कुमार सिंह** **पताः** डी 64/26 के 2 1ए, माधोपुर, शिवपुरवा, वाराणसी- 221010 **जमानतकर्ताः स्व श्री दिलिप कुमार सिंह पुत्र शम्भु नाथ (मृतक)** के कानूनी उत्तराधिकारियों **1) श्री मोहित सिंह पुत्र स्व0 श्री दिलिप कुमार सिंह** **2) श्री रोहित सिंह पुत्र स्व0 श्री दिलिप कुमार सिंह** **3) श्रीमती वर्षा सिंह पुत्री स्व0 श्री दिलिप कुमार सिंह** **4) श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी स्व0 श्री दिलिप कुमार सिंह** **पताः** सभी निवासी डी 64/26 के-2-1 ए, माधोपुर, शिवपुरवा, वाराणसी- 221010, द्वारा प्रतिनिधित्व **मांग सूचना की तिथिः** 03.12.2025 **अधिग्रहण सूचना की तिथिः** 05.05.2026 **शाखा- गोदौलिया, वाराणसी**	सायिक बंधक अचल सम्पत्ति का सभी भाग जिसका मकान नम्बर एन-15/189-डी-ए-आर-1, क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट स्थित अराजी नम्बर 39/1, मौजा- जोल्हा, परगना- देहात अमानत, तहसील व जिला- वाराणसी जो कि श्रीमती निर्मला सिंह पत्नी स्व0 श्री दिलिप कुमार सिंह के नाम में है। **चौहद्दी (विक्रय विलेख के अनुसार):** पूर्व- जुज हिस्सा मिनमुकिर, पश्चिम- अनुराधा देवी आदि की जमीन, उत्तर- कच्चा रास्ता 8 फीट, दक्षिण- स्व0 छक्कू की जमीन	रू **11,14,707.78** दि0 02.12.2025 तक + ब्याज देय एवं विधिक व अन्य खर्च (यदि कोई राशि जमा है, को घटाकर)

दिनांक : 09.05.2026 | स्थानः वाराणसी | ह0 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | **Union Bank of India**
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

क्षेत्रीय कार्यालयः आजमगढ़ (उत्तर)
एसबीएस टॉवर,रामा हास्पिटल के सामने, नरौली, आजमगढ़- 276001

अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पूर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के अनतर्गत अचल सम्पत्तियों की ई-निलामी हेतु बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण को सामान्य रूप से तथा ऋणी (बकार्यवार) और जमानतकर्ता(ओं) को विशेष रूप से सूचित किया जाता हैं, कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों जो प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं, का भौतिक / सांकेतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभू ऋणदाता) द्वारा लिया गया है, को " जहाँ है, जैसा है, जो कुछ भी है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" के आधार पर ऋणी/यों तथा जमानतदारों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभू ऋणदाता) बकाया धनराशी की वसूली हेतु नीचे वर्णित तिथि पर निम्न विवरणो के साथ बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

आनलाइन ई नीलामी हेतु वेबसाइट https://baanknet.com
नीलामी की तारीख व समय : 26.05.2026 को दोपहर 12:00 से सायं 05:00 तक
बिड/ धरोहर राशि (ई.एम.डी.) जमा करने का समयः ई नीलामी शुरू होने से पहले तक

सम्पत्ति निरिक्षण की तारीख व समय - प्राधिकृत अधिकारी के परामर्श से,
प्राधिकृत अधिकारी का नाम व नम्बर - श्री विशाल सिंह मो0 (9453114994) इमेल - crld.roazamgarh@unionbankofindia.bank

| क्र0 सं0 | शाखा/ ऋणी/ जमानतदार का न